# Rajasthali Law Institute

**Prelims test series**

## CRPC PAPER-5

**(Chapter 22 to 24)**

**1)**जब कोई व्यक्ति किसी मजिस्ट्रेट के आदेशों के अंतर्गत बन्दीगृह में निरुद्ध है और उसे कोई दूसरा मजिस्ट्रेट अपने समक्ष आरोप का उत्तर देने के लिये बन्दीगृह के भारसाधक अधिकारी को उसे प्रस्तुत करने का आदेश देता है, तब-**(M.P. A.P.O.1995)**

(a) उस व्यक्ति को प्रस्तुत किया जाए या नहीं यह बन्दीगृह के भारसाधक अधिकारी पर निर्भर करता है

(b) बन्दीगृह का भारसाधक अधिकारी, यदि वह व्यक्ति इच्छुक है, तब ही और अवश्य ही प्रस्तुत करेगा

(c) बन्दीगृह का भारसाधक अधिकारी उसे प्रस्तुत करने हेतु बाध्य नहीं होगा यदि जेल 15 किमी. से अधिक दूर है

(d) यदि वह सुपुर्दगी विचारण अथवा प्राथमिक अन्वेषण के दौरान बन्दी है तब बन्दोगृह का वह भारसाधक अधिकारी उसे दूसरे मजिस्ट्रेट के आदेश का पालन करने में प्रविरत रहेगा

**1)When a person is detained in a prison under the orders of a Magistrate and another Magistrate orders him to be produced before him by the officer in charge of the prison to answer the charge, then-**

(a) Whether that person is produced or not depends on the officer in charge of the prison.

(b) The officer in charge of the prison, will definitely produce if the person is willing,

(c) The officer in charge of the jail will not bound to produce him if the jail is more than 15 km away

(d) If he is a prisoner under committal for trial or pending a preliminary investigation the officer in charge of the prison shall abstain from carrying out the order of another Magistrate

**2)**दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा **272** के अंतर्गत राज्य के अंदर उच्च न्यायालय से भिन्न न्यायालय की भाषा कौन अवधारित कर सकता है?**(Raj. J.L.O. 2014)**

(a) उच्च न्यायालय

(b) उच्चतम न्यायालय

(c) राज्य सरकार

(d) केंद्र सरकार

**2) Under Section 272 of the Code of Criminal Procedure, who can determine the language of the court**

**other than the High Court within the state?**

(a) High Court

(b) Supreme Court

(c) State government

(d) Central Government

**3)**समन मामलों और पूछताछ में, ज्ञापन केवल है-**(Jharkhand (CJ) 2015)**

(a) गवाह के रिकॉर्ड

(b) आरोपी के बयान का रिकॉर्ड

(c) सबूत के रिकॉर्ड

(d) सभी बयानों का रिकॉर्ड

**3) In summons cases and inquiries, the memorandum is only—**

(a) Records of witnesses

(b) Record of statement of the accused

(c) Records of evidence

(d) Record of all statements

**4)**दण्ड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन साक्षी की भाव-भंगिमा को अभिलिखित करने का उपबन्ध है**M.P.H.J.S. 2016**
**U.P.A.P.O. 2015 Raj. (CJ) 2014**
**Uttaranchal (CJ) 2002)**

(a) धारा 280
(b) धारा 279
(c) धारा 278
(d) धारा 281

**4)Under which section of the Code of Criminal Procedure, there is a provision for recording the demeanour of the witness?**

(a) Section 280
(b) Section 279
(c) Section 278

(d) Section 281

**5)मजिस्ट्रेट अधिनियम की किस धारा के तहत कारागार में किसी बन्दी की साक्षी के रूप में परीक्षा हेतु कमीशन जारी कर सकता है?(Jharkhand (CJ) 2014)**

(a) धारा 270

(b) धारा 271

(c) धारा 272

(d) धारा 273

**5) Under which section of the Act a Magistrate can issue a commission for the examination of a prisoner in prison as a witness?**

Estd. 2008

(a) Section 270

(b) Section 271

(c) Section 272

(d) Section 273

**6)**आपराधिक विचारण में साक्ष्य कौन लिखता है?**(U.P. (CJ) 2013)**

(a) न्यायालय का कोई भी कर्मचारी

(b) मजिस्ट्रेट

(c) अधिवक्ता

(d) विशेषज्ञ

**6)Who writes evidence in a criminal trial?**

(a) Any employee of the court

(b) Magistrate

(c) Advocate

(d) Expert

राजस्थली
Estd. 2008

**7)"**साक्ष्य अभियुक्त अथवा उसके अधिवक्ता की उपस्थिति में ही लिया जाना चाहिए।**"** आप इस पर क्या कहेंगे, कि-**(M.P. A.P.O. 1995)**

(a) यह एक अन्तिम नियम है

(b) ऐसा कोई नियम नहीं है
(c) यह केवल वांछनीय है
(d) अभिव्यक्त रूप से उपबन्धित कुछ अपवादों को छोड़कर यह एक सामान्य नियम है

**7) "Evidence should be taken only in the presence of the accused or his advocate." What would you say on this, that-**
(a) It is a final rule
(b) There is no such rule
(c) It is only desirable
(d) It is a general rule except some exceptions expressly provided.

Estd. 2008

**8)**निम्नलिखित में से कौन-सी धारा 'ऑट्रीफोइस ऐक्विट' और 'ऑट्रीफोइस कनविक्ट' के सिद्धांत पर आधारित है?**(Jharkhand (CJ) 2012, 2015)**

(a) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 289
(b) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 295
(c) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 300
(d) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 327

**8)Which of the following sections is based on the principle of 'autrefois acquit' and 'autrefois convict'?**

(a) Section 289 of the Code of Criminal Procedure
(b) Section 295 of the Code of Criminal Procedure
(c) Section 300 of the Code of Criminal Procedure
(d) Section 327 of the Code of Criminal Procedure

राजस्थली
Estd. 2008

**9).** निम्नलिखित धाराओं में से किसमें अभियुक्त को राज्य के व्यय पर सत्र न्यायालय में विधिक सहायता प्रावधानित है?**(M.P.H.J.S. 2017**

**Chhattisgarh (CJ) 2016**
**Uttarakhand (CJ) 2002, 2005, 2013, 2015**
**Raj. J.L.O. 2014)**

(a) धारा 406 द.प्र.सं.
(b) धारा 301 दं.प्र.सं.
(c) धारा 304 द.प्र.सं.
(d) धारा 306 दं.प्र.सं.

**9). In which of the following sections, legal aid is provided to the accused in the Sessions Court at the state's expense?**

(a) Section 406 CrPC
(b) Section 301 CrPC
(c) Section 304 CrPC
(d) Section 306 CrPC

**10)विधि के किस प्रावधान के अंतर्गत, किसी दांडिक न्यायालय के समक्ष जांच या विचारण के प्रयोजनार्थ एक अधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करना, एक निगमित निकाय से अपेक्षित है?(Raj(JS) 2019)**

(a) धारा 302 दंड प्रक्रिया संहिता।

(b) धारा 303 दंड प्रक्रिया संहिता।

(c) धारा 305 दंड प्रक्रिया संहिता।

(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

**10)Under which provision of law, a body corporate is required to appoint an authorized representative for the purpose of investigation or trial before a criminal court?**

Estd. 2008

(a) Section 302 Code of Criminal Procedure.

(b) Section 303 Code of Criminal Procedure.

(c) Section 305 Code of Criminal Procedure.

(d) None of the above

**11)** आपराधिक प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित में से कौन-सी धारा अभियुक्त को अपनी पसंद के अधिवक्ता द्वारा बचाव का अधिकार प्रदान करती है?**(Chhattisgarh (CJ) 2017)**

(a) धारा 304

(b) धारा 303

(c) धारा 302

(d) धारा 306

**11) Which of the following sections of the Code of Criminal Procedure provides the accused with the right to be defended by an advocate of his choice?**

(a) Section 304

(b) Section 303
(c) Section 302
(d) Section 306

**12)'ब' को घोर उपहति कारित करने के लिए 'अ'** का विचारण किया जाता है और वह दोषसिद्ध किया जाता है। तत्पश्चात् **'ब'** मर जाता है**-(M.P. A.P.O. 1997)**

(a) आपराधिक मानव वध के लिए 'अ' का पुनः विचारण किया जा सकेगा
(b) आपराधिक मानव वध के लिए 'अ' का पुनः विचारण नहीं किया जा सकेगा
(c) न्यायालय के विवेक पर निर्भर करेगा
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

Estd. 2008

**12) 'A' is tried for causing grievous hurt to 'B' and is found guilty. After that 'B' dies-**

(a) 'A' may be re-tried for culpable homicide
(b) 'A' cannot be re-tried for culpable homicide
(c) Will depend on the discretion of the court
(d) None of the above

**13)'घ' को लूटने के लिए 'क', 'ख' और 'ग' पर** विचारण चला एवं न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी ने दोषी ठहराया। क्या उन्हीं तथ्यों पर इन्हीं आरोपीगण पर डकैती का आरोप लगाकर विचारण किया जा सकता है?**(Chhattisgarh (CJ) 2003)**
(a) हां
(b) नहीं
(c) धारा 300 दं.प्र.सं. बाधित करती है
(d) अवैधानिकता होगी

Estd. 2008

**13) 'A', 'B' and 'C' were tried for robbing 'D' and were found guilty by the Judicial Magistrate First Class. Can the same accused be charged with Dacoity and tried on the same facts?**

(a) yes

(b) no

(c) Section 300 CrPC disrupts

(d) would be illegal

**14)**दोहरे परिसंकट के विरुद्ध संरक्षण को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में समाविष्ट किया गया है?**(MP (CJ) (S-II) 2019)**

(a) धारा 302

(b) धारा 300

(c) धारा 308

(d) धारा 304

**14) Protection against double jeopardy is included in which section of the Code of Criminal Procedure?**

(a) Section 302

(b) Section 300

(c) Section 308

(d) Section 304

**15)**दण्ड प्रक्रिया संहिता, **1973** की धारा **308** के अंतर्गत एक सह**-** अपराधी, जो क्षमादान की शर्तों को पूरा नहीं करता, का झूठा साक्ष्य देने के लिए अलग से विचारण हो सकता है, लेकिन निम्न की अनुमति से **:(U.P. A.P.O. 2005, 2006)**

(a) सत्र न्यायालय

(b) उच्च न्यायालय

(c) राज्य सरकार

(d) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

**15) Under Section 308 of the Code of Criminal Procedure, 1973, a accomplice who does not fulfill the conditions of pardon can be tried separately for giving false evidence, but with the permission of:**

(a) Sessions Court

(b) High Court

(c) State government

(d) Chief Justice of the High Court

**16)**न्यायिक अभिरक्षा से किसी अभियुक्त व्यक्ति को **15** दिन तक की पुलिस अभिरक्षा में भी सौंपा जा सकता है। दण्ड प्रक्रिया संहिता **1973** की निम्न में से किस धारा के अधीन यह संभव है?**(Raj. A.P.O. 2011)**

(a) धारा 482 में

(b) धारा 167 में

(c) धारा 386 में

(d) धारा 309 के स्पष्टीकरण 1 में

**16) An accused person from judicial custody can also be handed over to police custody for up to 15 days. This is possible under which of the following sections of the Code of Criminal Procedure 1973?**

(a) In section 482

(b) In section 167

(c) In section 386

(d) In Explanation 1 to section 309

**17)**एक न्यायिक मजिस्ट्रेट अभियुक्त व्यक्ति का पुलिस अभिरक्षा में निरोध प्राधिकृत कर सकता है-**(U.P. A.P.O. 2011**

(a) अधिकतम 7 दिनों के लिए

(b) अधिकतम 15 दिनों के लिए

(c) अधिकतम 60 दिनों के लिए
(d) अधिकतम 90 दिनों के लिए

**17) A Judicial Magistrate may authorize the detention of an accused person in police custody -**
(a) For a maximum of 7 days
(b) For a maximum of 15 days
(c) For a maximum of 60 days
(d) For a maximum of 90 days

**18)**सह-अपराधी को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा **306** के अंतर्गत क्षमादान कब दिया जा सकता है?**(M.P. A.P.O. 2008)**
(a) अन्वेषण के दौरान
(b) जांच के दौरान
(c) विचारण के दौरान
(d) इनमें से सभी

Estd. 2008

**18) When can a accomplice be granted pardon under Section 306 of the Code of Criminal Procedure?**

(a) During investigation

(b) During inquiry

(c) During trial

(d) All of these

**19).** न्यायालय के निर्णय से पूर्व अभियुक्त को क्षमादान देने का प्रावधान अधिनियम की किस धारा में है?**(Jharkhand (CJ) 2014)**

(a) धारा 306

(b) धारा 307

(c) धारा 301

(d) धारा 310

राजस्थली
Estd. 2008

**19). In which section of the Act there is a provision for granting pardon to the**

**accused before the judgement of the court?**

(a) Section 306

(b) Section 307

(c) Section 301

(d) Section 310

**20)**आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा **306** या धारा **307** के अधीन क्षमा दान स्वीकार कर लेने वाले व्यक्ति ने किसी अत्यावश्यक बात को जानबूझकर छिपाकर या मिथ्या साक्ष्य देकर उस शर्त का पालन नहीं किया है, जिस पर क्षमादान किया गया था, यह कौन प्रमाणित करेगा?**(M.P. (CJ) 2002)**

(a) जिला मजिस्ट्रेट

(b) सत्र न्यायाधीश

(c) लोक अभियोजक

(d) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

Estd. 2008

**20) Who will certify that a person who has accepted pardon under Section 306 or Section 307 of the Code of Criminal Procedure has not complied with the condition on which pardon was granted by wilfully concealing anything,essential or giving false evidence? ?**

(a) District Magistrate

(b) Sessions Judge

(c) Public Prosecutor

(d) Chief Judicial Magistrate

राजस्थली
Estd. 2008

**21)** दण्ड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन न्यायालय को किसी भी व्यक्ति को साक्षी के रूप में समन करने का विवेकाधिकार है?**(U.P. A.P.O. 2011, 2015 U.P. A.P.O. (Spl.) 2007)**

(a) धारा 311

(b) धारा 319
(c) धारा 311-क
(d) धारा 313

**21) Under which section of the Code of Criminal Procedure does the court have the discretion to summon any person as a witness?**
(a) Section 311
(b) Section 319
(c) Section 311-A
(d) Section 313

**22)**दंड प्रक्रिया संहिता का कौन-सा प्रावधान एक दांडिक न्यायालय को, एक आपराधिक प्रकरण में साक्षियों को पुनः बुलाने और पुनः परीक्षा करने हेतु सशक्त करता है?**(Raj(JS) 2019)**
(a) धारा 217
(b) धारा 311

राजस्थली
Estd. 2008

(c) (a) एवं (b) दोनों
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

**22)Which provision of the Code of Criminal Procedure empowers a criminal court to recall and re-examine witnesses in a criminal case?**
(a) Section 217
(b) Section 311
(c) Both (a) and (b)
(d) None of the above

**23)**दंड प्रक्रिया संहिता **1973** की धारा **311-(Bihar H.J.S. 2019)**
(a) अदालती गवाह तक ही सीमित है
(b) प्रतिरक्षा गवाह पर लागू नहीं होता
(c) अभियुक्त द्वारा अपने बचाव का खुलासा करने के बाद प्रयोग नहीं किया जा सकता

(d) इसमें अभियुक्त को गवाह के रूप में शामिल नहीं किया गया है

**23)Section 311 of the Code of Criminal Procedure, 1973-**

(a) Is confined to court witness

(b) Does not apply to defence witness

(c) Cannot be exercised after the accused had disclosed his defence

(d) Does not include accused as witness

**24)** दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत, जब जांच अथवा विचारण भारतीय दण्ड संहिता की धारा **376** से **376** घ के अधीन अपराध से संबंधित है, तो जांच अथवा विचारण यथासंभव अभियोग-पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से किस अवधि के अंदर पूरा किया जाएगा?**(M.P. (CJ) 2013)**

(a) एक माह

(b) दो माह

(c) तीन माह
(d) छह माह

**24) Under the Code of Criminal Procedure, when the inquiry or trial relates to an offence under sections 376 to 376 D of the Indian Penal Code, within what period, as far as possible, the inquiry or trial will be completed from the date of presentation of the charge sheet?**
(a) one month
(b) two months
(c) three months
(d) six months

राजस्थली
Estd. 2008

**25)निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सह-अपराधी के बारे में असत्य है?(Jharkhand (CJ) 2012)**

(a) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अंतर्गत न्यायालय
सह-अपराधी को क्षमादान दे सकता है

(b) न्यायालय केवल ऐसे अपराधों में क्षमादान दे सकता है जो 7 वर्ष तक की सजा से दण्डनीय है

(c) न्यायालय के लिए यह आवश्यक है कि वह क्षमादान के प्रत्येक मामले के कारण को अभिलिखित करे

(d) क्षमादान का उद्‌देश्य अभियुक्त व्यक्ति से साक्ष्य प्राप्त करना है

**25)Which of the following statements is false about an accomplice?**

(a) Court under section 306 of the Code of Criminal Procedure
can grant pardon to an accomplice

(b) The court can grant pardon only in such crimes which are punishable with imprisonment up to 7 years.
(c) It is necessary for the Court to record the reasons for every case of pardon
(d) The purpose of pardon is to obtain evidence from the accused person

**26)**दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **306** में सह अपराधी को क्षमादान दिए जाने का प्रावधान किया गया है, जब**-(M.P. (CJ) (S-I) 2019)**
(a) जब वह खराब स्वास्थ्य के कारण विचारण का सामना करने में असमर्थ है।
(b) जब उसे विकृतचित्त घोषित कर दिया गया है।
(c) जब वह उस अपराध के संबंध में संपूर्ण और सही तथ्यों का प्रकटन करने का वचन देता है।
(d) इनमें से सभी
**26) In Section 306 of the Code of Criminal Procedure, a provision has**

**been made to grant pardon to accomplice, when-**

(a) When he is unable to face trial by reason of ill health.

(b) When he has been declared of unsound mind.

(c) When he undertakes to disclose the full and true facts relating to the offence.

(d) All of these

**27)**दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा **306** के अंतर्गत सह-अपराधी को कौन क्षमादान दे सकता है?**(Uttarakhand (CJ) 2009)**

(a) केवल मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

(b) केवल मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट

(c) केवल प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट

(d) उपर्युक्त सभी

**27)Who can grant pardon to accomplice under Section 306 of the Code of Criminal Procedure?**

(a) Chief Judicial Magistrate only

(b) Metropolitan Magistrate only

(c) First Class Magistrate only

(d) All of the above

**28)**निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में निर्णय लिया है कि निष्पक्ष सुनवाई के बहाने गवाह को बार-बार बुलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती?**(Chhattisgarh (CJ) 2017)**

(a) हरियाणा सरकार बनाम राम मेहर (2016)

(b) तमिलनाडु सरकार बनाम के. रमेश (2015)

(c) सीबीआई बनाम मनिन्दर सिंह (2016)

(d) पूजा पाल बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया (2016)

**28)In which of the following cases has the Supreme Court recently decided that repeated calling of witnesses cannot be allowed in the name of fair trial?**

(a) State of Haryana vs. Ram Mehar (2016)

(b) Government of Tamil Nadu vs. K. Ramesh (2015)

(c) CBI vs Maninder Singh (2016)

(d) Pooja Pal vs. Union of India (2016)

**29)**दण्ड प्रक्रिया संहिता, **1973** की किस धारा में मजिस्ट्रेट के द्वारा किसी व्यक्ति को अपने हस्ताक्षर या हस्तलेख देने के लिए निर्देश की शक्ति को समाविष्ट किया गया है?**(Uttarakhand (CJ) 2016)**

(a) धारा 310 क में

(b) धारा 311 क में

(c) धारा 312 क में
(d) धारा 313 क में

**29)Which section of the Code of Criminal Procedure, 1973 contains the power of the Magistrate to direct any person to give his signature or handwriting?**
(a) Section 310A
(b) In section 311A
(c) In section 312A
(d) In section 313A

**30)**दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा **313** के अधीन न्यायालय द्वारा अभियुक्त का बयान लिया जाता है-**(M.P.H.J.S. 2016 Uttarakhand (CJ) 2012)**
(a) शपथ पर
(b) शपथ पर नहीं।

(c) न्यायालय के विवेकानुसार या तो शपथ पर अथवा बिना शपथ पर
(d) या तो शपथ पर या विवेकानुसार बिना शपथ के इस बात का ध्यान रखते हुए कि मामला समन विचारण का है या वारण्ट विचारण का है।

**30) Under Section 313 of the Code of Criminal Procedure, the statement of the accused is taken by the court-**
(a) On oath
(b) Not on oath.
(c) Either on oath or without oath in the discretion of the court
(d) Either on oath or without oath at his discretion, having regard to whether the case is a summons trial or a warrant trial.

**31)**क्या कोई अभियुक्त अपने बचाव में सक्षम साक्षी हो सकता है?**(M.P. (CJ) 1999)**

(a) यदि वह स्वप्रेरणा से लिखित आवेदन दे
(b) सक्षम साक्षी नहीं हो सकता
(c) सत्र न्यायालय की अनुमति से
(d) उच्च न्यायालय की अनुमति से

**31)Can an accused be a competent witness in his defence?**
(a) If he submits a written application on his own motion
(b) cannot be a competent witness
(c) With the permission of the Sessions Court
(d) With the permission of the High Court

**32)**संहिता की धारा **313** के अंतर्गत अभियुक्त के परीक्षण का प्रयोजन है कि :**(M.P. (CJ) 2012)**
(a) अभियुक्त अपने विरुद्ध साक्ष्य में प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों का स्वयं स्पष्टीकरण कर सके

(b) अभियुक्त को उसकी प्रतिरक्षा ज्ञात हो सके
(c) अभियुक्त को उसके विरुद्ध अधिरोपित आरोपों का ज्ञान हो सके
(d) उपर्युक्त सभी

**32)The purpose of examining the accused under section 313 of the Code is to:**
(a)The accused may himself explain any circumstances appearing in the evidence against him.
(b) The accused may know his defence
(c) The accused may have knowledge of the charges imposed against him
(d) All of the above

**33)**विचारण के दौरान न्यायालय द्वारा एक अभियुक्त के कथनों को अभिलिखित किया जाता

है दण्ड प्रक्रिया संहिता **1973** की-**(Uttarakhand (CJ) 2014)**

(a) धारा 311 में
(b) धारा 312 में
(c) धारा 313 में
(d) धारा 314 में

**33) During the trial, the statements of an accused are recorded by the court under the Code of Criminal Procedure 1973-**

(a) In section 311
(b) In section 312
(c) In section 313
(d) In section 314

**34)**दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत अभियोजन साक्ष्य के उपरांत अभियुक्त की परीक्षा की जाती है?**(M.P. (CJ) (S-II) 2019)**

(a) धारा 311
(b) धारा 313
(c) धारा 315
(d) धारा 317

**34)Under which provision of the Code of Criminal Procedure, the accused is examined after the prosecution evidence?**

(a) Section 311
(b) Section 313
(c) Section 315
(d) Section 317

राजस्थली Estd. 2008

**35)** दंड प्रक्रिया संहिता की धारा **311**ए मजिस्ट्रेट को सशक्त करती है-**(M.P. (CJ) (S-II) 2018)**

(a) अपराध के दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के विरुद्‌ध कार्यवाही के लिए
(b) विचरण के दौरान अभियुक्त की संस्वीकृति अभिलिखित किए जाने हेतु
(c) नमूना हस्ताक्षर देने के लिए किसी व्यक्ति को आदेश देने के लिए
(d) किसी स्थान में, जिसमें अपराध का किया जाना अभिकथित है, उसमें जाने और उसका निरीक्षण करने

**35) Section 311A of the Code of Criminal Procedure empowers the Magistrate to-**

(a) For proceedings against other persons who appear to be guilty of an offence.
(b) To record the confession of the accused during the trial

(c) To order a person to give a specimen signature
(d) to visit and inspect any place in which an offence is alleged to have been committed;

**36)**धारा **313** दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभियुक्त का परीक्षण करते हुए न्यायालय **:(M.P. A.P.O. 1993)**
(a) अभियुक्त को उसकी सहमति से शपथ दिला सकता है
(b) अभियुक्त को शपथ दिलाने हेतु आबद्ध है
(c) अभियुक्त को प्रश्न का उत्तर देने हेतु विवश नहीं कर सकता
(d) अभियुक्त के उत्तर देने से इंकार करने या उसके मिथ्या उत्तर देने पर उसके विरूद्ध कार्यवाही कर उसे दण्डित कर सकता है

**36) Court while examining the accused under Section 313 of the Code of Criminal Procedure:**

(a) Can administer oath to the accused with his consent

(b) The accused is bound to take oath

(c) Cannot force the accused to answer the question

(d) If the accused refuses to answer or gives a false answer, he can be punished by taking action against him.

**37).** कौन-से अपराधों में पक्षकारों के मध्य समझौता हो सकता है?**(M.P. (CJ) 2010)**

(a) जमानतीय

(b) असंज्ञेय

(c) शमन योग्य

(d) अशम्य

Estd. 2008

**37). In which Offences there can be a compromise between the parties?**

(a) Bailable

(b) Non-cognizable

(c) Compoundable

(d) Non-Compoundable

**38)** धारा **320(2)** दण्ड प्रक्रिया संहिता**, 1973** के अंतर्गत किस अपराध का शमन नहीं किया जा सकता है”**(M.P.A.D.P.O. 2015)**

(a) गर्भपात करना अंतर्गत धारा 312 भारतीय दण्ड संहिता, 1860

(b) आपराधिक न्यास भंग धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता, 1860

(c) उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कार्य से मृत्यु कारित करना धारा 304क भारतीय दण्ड संहिता, 1860

**38) Which Offence cannot be compounded under Section 320(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973?**

(a) Abortion under section 312 of the Indian Penal Code, 1860

(b) Criminal breach of trust Section 406 Indian Penal Code, 1860

(c) Causing death by rash or negligent act Section 304A Indian Penal Code, 1860

(d) Voluntarily causing grievous hurt Section 325 Indian Penal Code, 1860

**39).** शमनीय तथा अशमनीय अपराधों का वर्गीकरण दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत है-**(Uttaranchal (CJ) 2005, 2013, 2014 U.P. A.P.O. (Pre) 2011 Raj. J.L.O. 2014)**

(a) प्रथम अनुसूची में

(b) द्वितीय अनुसूची में

(c) धारा 321 सीआर.पी.सी.

(d) धारा 320 सी.आर.पी.सी.

**39). The classification of compoundable and non-compoundable crimes under the Code of Criminal Procedure is-**

(a) In the first schedule

(b) In the Second Schedule

(c) Section 321 Cr.P.C.

(d) Section 320 Cr.P.C.

**40)**कौन**-**सा अपराध शमनीय नहीं है**?(M.P. (CJ) 2011)**

(a) 337 भा.दं.सं.

(b) 324 भा.दं.सं.

(c) 312 भा.दं.सं.

(d) 420 भा.दं.सं.

राजस्थली
Estd. 2008

**40)Which crime is not compoundable?**
(a) 337 IPC
(b) 324 IPC
(c) 312 IPC
(d) 420 IPC

**41)**यदि किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में साक्ष्य उपलब्ध है, जो अपराध करता है लेकिन उसका नाम आरोप-पत्र में अभियुक्त के रूप में उल्लिखित नहीं है, तो **-(Jharkhand (CJ) 2018)**
(a) उसका नाम न्यायिक मजिस्ट्रेट / सेशन कोर्ट द्वारा जोड़ा जा सकता है
(b) उसका नाम इस समय पर नहीं जोड़ा जा सकता है
(c) उसका नाम उच्च न्यायालय द्वारा जोड़ा जा सकता है
(d) उसका नाम सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जोड़ा जा सकता है

**41) If there is evidence available about a person who commits an offence but his name is not mentioned as an accused in the charge sheet, then -**

(a) His name may be added by the Judicial Magistrate/Session Court

(b) His name cannot be added at this time

(c) His name may be added by the High Court

(d) His name may be added by the Supreme Court

राजस्थली
Estd. 2008

**42).** जहां सत्र न्यायालय को मामला अपने को सुपुर्द किए जाने के पश्चात भेजे गए अभिलेख से प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ मामला बनता है जिसको सम्मिलित नहीं किया गया है, तो वहां-**(M.P. (CJ) 2013)**

(a) सत्र न्यायालय के पास धारा 319 के प्रक्रम तक इंतजार करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं होगा
(b) सत्र न्यायालय भेजे गए अभिलेख के आधार पर धारा 193 के अधीन समन जारी कर सकता है
(c) न्यायालय मामले को उचित कार्यवाही हेतु सुपुर्दगी करने वाले मजिस्ट्रेट को रिमांड कर देगा
(d) ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध एक आरोप-पत्र दाखिल करने हेतु पुलिस को निर्देशित किया जाएगा।

**42). Where it prima facie appears from the record sent to the Court of Session after the case has been committed to itself that a case is made out against a person who has not been included, then-**

(a) The Sessions Court will have no other option but to wait for the section 319 process.
(b) The Sessions Court can issue summons under section 193 on the basis of the records sent.
(c) The court will remand the case to the committing magistrate for appropriate proceedings.
(d)The police will be directed to file a charge sheet against such person.

**43)** दंड प्रक्रिया संहिता **1973** की धारा **319** के अंतर्गत एक आदेश**-(Bihar H.J.S. 2019)**
(a) केवल पहले मुखबिर या गवाहों में से एक के अनुरोध पर ही किया जा सकता है
(b) तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक कि अभियोजन पक्ष के कम से कम एक गवाह की जांच नहीं कर ली गई हो

(c) स्वत: नहीं किया जा सकता है
(d) एक प्रशासनिक आदेश है

**43) An order under Section 319 of the code of Criminal Procedure, 1973-**
(a) Can only be made on the request of the first informant or one of the witnesses
(b) Cannot be passed unless at least one prosecution witness has been examined
(c) Cannot be made suo motu
(d) Is an administrative order

**44)**अभियुक्त का बयान शपथ पर लिया जा सकता है**-(Raj. (CJ) 2015**
**CJ) 1999)**

(a) विधि का सही वक्तव्य नहीं है
(b) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 315 के अंतर्गत
(c) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत

**44)The statement of the accused can be taken on oath-**
(a) Is not a correct statement of the law
(b) Under section 315 of the Code of Criminal Procedure
(c) Under section 313 of the Code of Criminal Procedure
(d) Under section 391 of the Code of Criminal Procedure

Estd. 2008

**45)** जब वह व्यक्ति जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा **320** के अधीन अपराध का शमन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता, मर जाता है

तब **-(M.P. (CJ) 2002, 2013, 2017 Chhattisgarh (CJ) 2004)**

(a) अपराध का शमन नहीं किया जा सकता

(b) किसी चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है

(c) ऐसे व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सम्मति के बिना अपराध का शमन कर सकता है

(d) ऐसे व्यक्ति का विधिक प्रतिनिधि न्यायालय की सम्मति से अपराध का शमन कर सकता है।

**45)When the person who is under section 320 of the Code of Criminal Procedure would otherwise be capable of compounding the offence, die-**

(a) Offence cannot be compounded

(b) A Offence can be compounded by an eyewitness.

(c) The legal representative of such person may compound the Offence without the consent of the Court.
(d) The legal representative of such person can compound the Offence with the consent of the court.

**46)**एक लोकसेवक अ. दस्तावेज का अनुवाद करने का भार वहन करते हुए, दस्तावेज का अशुद्ध अनुवाद व को क्षति कारित करने के आशय से करता है। अ द्वारा किया गया अपराध है:**(U.P.H.J.S. (P-II) 2018)**

(a) असंज्ञेय
(b) अजमानतीय
(c) अशमनीय
(d) उपरोक्त सभी

राजस्थली
Estd. 2008

**46)A public servant ‘A’. While bearing the responsibility of translating the document, he does a wrong translation of the document with the intention of causing harm. The offence committed by A is:**

(a) Non-cognizable
(b) Non-bailable
(c) Non-compoundable
(d) All of the above

**47)**एक दण्डाधिकारी ने निम्न अपराधों का समझौता करने की अनुमति प्रदान कर दी। दण्डाधिकारी का कौन-सा आदेश विधि विरुद्ध है?**(M.P. (CJ) 1986)**

(a) धारदार शस्त्र से साधारण चोट, धारा 324 भा.दं.सं.
(b) भोथर हथियार से गंभीर चोट, धारा 325 भा.दं.सं.

(c) दस या अधिक दिन के लिए सदोष परिरोध, धारा 344 भा.दं.सं.
(d) रु. 250/- से अधिक मूल्यवान वस्तु की चोरी, धारा 379 भा.दं.सं.

**47) A magistrate gave permission to compromise the following crimes. Which order of the magistrate is against the law?**
(a) Simple hurt by sharp weapon, Section 324 IPC.
(b) Grevious hurt by blunt weapon, Section 325 IPC.
(c) Wrongful confinement for ten or more days, Section 344 IPC.
(d) Rs. Theft of anything valuable more than Rs 250/-, Section 379 IPC.

राजस्थली
Estd. 2008

**48)निम्नलिखित में से कौन अपराध व्यक्तियों द्वारा शमन नहीं किया जा सकता?(U.P.A.P.O. (Spl.) 2007)**

(a) चोट पहुंचाना

(b) जारता

(c) गृह अतिक्रमण

(d) कूटकृत सिक्का

**48)Which of the following offences cannot be compounded by persons?**

(a) To cause hurt

(b) Adultery

(c) House trespass

(d) Counterfeit coin

**49). धारा-320** दण्ड प्रक्रिया संहिता में विनिर्दिष्ट अपराधों के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता में

उल्लिखित अन्य सभी अपराध-**(M.P. (CJ) 2005-06)**

(a) अशमनीय हैं

(b) न्यायालय की आज्ञा से शमनीय है

(c) सत्र न्यायालय द्वारा शमनीय है

(d) उच्च न्यायालय द्वारा शमनीय हैं

**49). Apart from the offences specified in Section 320 Code of Criminal Procedure, all other offence mentioned in the Indian Penal Code-**

(a) Non-compoundable

(b) Is compoundable by the order of the court

(c) Is compoundable by the Court of Session

(d) Is compoundable by the High Court

**50)**जब एक व्यक्ति जो, अन्यथा धारा **320** दं.प्र.सं. के तहत एक अपराध का शमन करने के

लिए सक्षम है किंतु **18** वर्ष से कम आयु का है, तो **-(M.P.H.J.S. 2017)**

(a) न्यायालय की अनुमति से, ऐसे व्यक्ति की ओर से संविदा करने में समर्थ किसी भी व्यक्ति के द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है

(b) न्यायालय की अनुमति से ऐसे व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है

(c) अपराध का शमन केवल पिता या माता द्वारा हो सकता है

(d) बिना न्यायालय की अनुमति के ऐसे व्यक्ति के विधिक प्रतिनिधि द्वारा अपराध का शमन किया जा सकता है

राजस्थली
Estd. 2008

**50) When a person who, otherwise competent to compound an offence than under section 320 Cr.P.C. is under 18 years of age,then -**

(a) An offence may, with the leave of the Court, be compounded by any person competent to contract on behalf of such person

(b) The offence may be compounded by the legal representative of such person with the permission of the Court

(c) The offence can be compounded only by the father or mother.

(d) The offence may be compounded by the legal representative of such person without the permission of the Court.

**51)**निम्नलिखित में से कौन-सा अपराध शमनीय नहीं है?**(Uttaranchal (CJ) 2002, 2005 Chhattisgarh (CJ) 2007, 2008 M.P. A.P.O. 2008)**

(a) भा.दं.सं. की धारा 323 के अंतर्गत

(b) भा.दं.सं. की धारा 334 के अंतर्गत

(c) भा.दं.सं. की धारा 448 के अंतर्गत
(d) भा.दं.सं. की धारा 307 के अंतर्गत

**51)Which of the following crimes is not compoundable?(U.P.H.J.S. 2012 Uttarakhand A.P.O. 2016 M.P. (CJ) 2005, 2010)**
(a) under section 323 of ipc
(b) under section 334 of ipc
(c) under section 448 of ipc
(d) under section 307 of ipc

**52) किसी अपराध के शमन का परिणाम होगा-( U.P.H.J.S. 2012**
**Uttarakhand A.P.O. 2016 M.P. (CJ) 2005, 2010)**
(a) बरी होना
(b) उनमोचन
(c) समझौता

(d) दोषसिद्धि

**52) Compounding of an offence will result in-**

(a) Acquittal

(b) Discharge

(c) Compromise

(d) Conviction

**53).** दण्ड प्रक्रिया संहिता, **1973** के अंतर्गत मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे मामले को भी जो अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है, सत्र न्यायालय को विचारण हेतु उपार्पित किया जा सकता है, यदि मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि मामला ऐसा है**-(M.P. M.P. (CJ) 2014)**

(a) कि वह उस मामले में पर्याप्त दण्ड नहीं दे सकता है।

(b) उसमें किसी असाधारण कठिन विधि प्रश्न के उठने की संभावना है।

(c) जिसके विचारण की उसे अधिकारिता नहीं है।
(d) उसका विचारण सत्र न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए

**53). Under the Code of Criminal Procedure, 1973, the Magistrate can also commit a case which is not exclusively triable by the Sessions Court for trial to the Sessions Court, if it appears to the Magistrate that the case is such that -**

(a) That he cannot give adequate punishment in that case.
(b) Some exceptionally difficult question of law is likely to arise
(c) He has no jurisdiction to try it.
(d) He should be tried by the Sessions Court.

**54)**विचारण के दौरान मजिस्ट्रेट यह पाता है कि अपराध का विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए तब वह मामले को सुपुर्द करने की कार्यवाही संहिता की किस धारा में करेगा?**(M.P.A.D.P.O. 2015)**

(a) धारा 209

(b) धारा 323

(c) धारा 325

(d) धारा 193

**54) During the trial, if the Magistrate finds that the offence should be tried by the Sessions Court, then under which section of the Code will he proceed to commit the case?**

(a) Section 209

(b) Section 323

(c) Section 325

(d) Section 193

**55)**अभियोजन साक्ष्य प्रारंभ होने के बाद न्यायालय द्वारा अभियोजन को अभियोजन वापस लेने की अनुमति देता है, तब अभियुक्त को**(M.P. (CJ) (S-I) 2019)**

(a) उन्मुक्त किया जाएगा

(b) डिस्चार्ज किया जाएगा

(c) दोषमुक्त किया जाएगा

(d) इनमें से कोई नहीं

**55)If the court allows the prosecution to withdraw the prosecution after the prosecution evidence begins, then the accused**

(a) will be released

(b) will be discharged

(c) will be acquitted

(d) none of these

**56)**दण्ड प्रक्रिया संहिता का कौन-सा प्रावधान किसी मामले के भारसाधक लोक अभियोजक को अनुमति देता है कि वह किसी व्यक्ति के अभियोजन को वापस ले सकता है?**(Uttarakhand (CJ) 2011**
**M.P.A.P.O. 2009**
**Bihar (CJ) 2009**
**Raj. (CJ) 2016)**

(a) धारा 304
(b) धारा 321
(c) धारा 313
(d) धारा 323

राजस्थली
Estd. 2008

**56)Which provision of the Code of Criminal Procedure allows the public prosecutor in-charge of a case to withdraw the prosecution of a person?**

(a) Section 304
(b) Section 321

(c) Section 313
(d) Section 323

**57)धारा 321 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत कौन अभियोजन प्रकरण वापस ले सकता है?**
(a) राज्य शासन
(b) मामले का भारसाधक लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति से
(c) मामले का भारसाधक लोक अभियोजक न्यायालय की अनुमति के बगैर भी
(d) जिला मजिस्ट्रेट
**M.P. (CJ) 2002, 2016 M.P. (CJ) (S-II) 2018 Chhattisgarh (CJ) 2007**

**57)Who can withdraw the prosecution case under Section 321 of the Code of Criminal Procedure?**
(a) State Government

(b) The public prosecutor in charge of the case with the permission of the court
(c) The public prosecutor in charge of the case even without the permission of the court
(d) District Magistrate

**58)**यदि अभियोजन एवं अभियुक्त पक्ष का साक्ष्य सुनने के पश्चात् दण्डाधिकारी को यह महसूस हो कि अभियुक्त दोषी है और वह अधिक दण्ड का पात्र है**,** जिसे देने के लिए वह दण्डाधिकारी सशक्त नहीं है तो वह मामले को किसे भेजेगा**?**
(a) सत्र न्यायालय को
(b) मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी को
(c) जिला दण्डाधिकारी को
(d) संबंधित पुलिस थाने को
**Chhattisgarh (CJ) 2004 M.P. (CJ) 1999**

**58) If after hearing the evidence of the prosecution and the accused, the magistrate feels that the accused is guilty and deserves more punishment, which the magistrate is not empowered to give, then to whom will he send the case?**

(a) To the Sessions Court

(b) To the Chief Judicial Magistrate

(c) To the District Magistrate

(d) To the concerned police station

**59)**साक्ष्य उपरांत, यदि मजिस्ट्रेट की राय है कि अभियुक्त दोषी है, जिसमें अपराध के लिए निर्धारित अधिकतम दंड देने का उसे अधिकार नहीं है तब वह किस धारा के अंतर्गत लिखित राय सहित कार्यवाही तथा अभियुक्त को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को भेज सकते हैं?**(M.P. (CJ) (S-1)2019)**

(a) धारा 321 दं.प्र.सं.
(b) धारा 322 दं.प्र.सं.
(c) धारा 323 दं.प्र.सं.
(d) धारा 325 दं.प्र.सं.

**59) After evidence, if the Magistrate is of the opinion that the accused is guilty,for which he does not have the authority to impose the maximum punishment prescribed for the offence, then under which section he can send the proceedings and the accused along with his written opinion to the Chief Judicial Magistrate?**

(a) Section 321 CrPC
(b) Section 322 CrPC
(c) Section 323 CrPC
(d) Section 325 CrPC

**60)**मजिस्ट्रेट के दोषमुक्ति के निर्णय के विरुद्ध अपील होगी?**(M.P. (CJ) 2007)**

(a) उच्च न्यायालय में

(b) सत्र न्यायालय में

(c) मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में

(d) कोई अपील नहीं होगी

**60) There will be an appeal against the judgment of acquittal of magistrate?**

(a) In the High Court

(b) In the Sessions Court

(c) In the court of the Chief Judicial Magistrate

(d) There will be no appeal

राजस्थली
Estd. 2008

**61).** निम्नलिखित में कौन-सा कथन सत्य है?**(M.P.A.D.P.O. 2015)**

(a) अभियुक्त व्यक्ति सक्षम साक्षी नहीं होता

(b) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत गलत उत्तर देने पर अभियुक्त को दंडित किया जाएगा
(c) भागतः एक मजिस्ट्रेट द्वारा और भागतः दूसरे मजिस्ट्रेट अभिलिखित साक्ष्य पर दोषसिद्धि या सुपुर्दगी की जा सकती है।
(d) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 320 (8) के तहत शमनीय अपराध का प्रभाव दोषमुक्ति नहीं होता

**61). Which of the following statements is true?**
(a) The accused person is not a competent witness
(b) Under Section 313 of the Code of Criminal Procedure, the accused will be punished for giving the wrong answer.
(c) Conviction or commitment may be made partly on evidence recorded by one

Magistrate and partly by another Magistrate.
(d) Under Section 320 (8) of the Code of Criminal Procedure, a compoundable offence does not have the effect of acquittal.

**62)**यदि उत्तरवर्ती न्यायिक मजिस्ट्रेट की यह राय है कि साक्षियों में से किसी की जिसका साक्ष्य पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है, अतिरिक्त परीक्षा करना न्याय के हित में आवश्यक है तो वह किसी भी ऐसे साक्षी को पुनः समन कर सकता है और ऐसी अतिरिक्त परीक्षा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा के यदि कोई हो जैसी यह अनुज्ञात करे, पश्चात वह साबी उन्मोचित कर दिया जाएगा। यह प्रावधान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा....... में उल्लेखित किया गया है।**(M.P. (CJ) (S-I) 2019)**
(a) 326

(b) 325
(c) 311
(d) 319

**62) If the successor Judicial Magistrate is of opinion that it is necessary in the interests of justice to further examine any of the witnesses whose evidence has already been recorded, he may re-summon any such witness and such additional After examination, cross-examination and re-examination, if any, as may be permitted, the accused will be discharged. This provision has been mentioned in section...... of the Code of Criminal Procedure.**
(a) 326
(b) 325

(c) 311
(d) 319

**63)यदि एक न्यायाधीश की अपने निर्णय के लिखने के पश्चात लेकिन खुले न्यायालय में सुनाने के पूर्व मृत्यु हो जाती है, तो वह निर्णय माना जाएगा :(Uttarakhand (CJ) 2019)**
(a) न्यायालय का निर्णय
(b) न्यायाधीश की राय
(c) केवल एक मृत्युकालिक कथन
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

**63) If a judge dies after writing his judgment but before it is pronounced in open court, that judgment shall be deemed to have been:**
(a) Court decision
(b) Judge's opinion
(c) Only a dying declaration

(d) None of the above

**64)** एक आपराधिक विचारण में बगैर सरकार के रासायनिक परीक्षक को प्रस्तुत किए, उसके द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान विश्लेषण के लिए सम्यक् रूप से भेजी गई किसी चीज के बारे में दी गई रिपोर्ट को-**(Raj. (CJ) 2013 U.P.H.J.S. (P-II) 2018)**
(a) साक्ष्य में उपयोग में नहीं लिया जा सकता है
(b) मात्र सम्मन प्रकरणों में साक्ष्य में उपयोग में लिया जा सकता है
(c) साक्ष्य में उपयोग में लिया जा सकता है
(d) साक्ष्य में आए अनुसंधान अधिकारी की स्मृति ताजा किए जाने मात्र तक उपयोग में लिया जा सकता है

Estd. 2008

**64) A report made in a criminal trial, without being produced to the Government Chemical Examiner, in**

**respect of any article duly sent for analysis in the course of any proceeding under the Code of Criminal Procedure, shall be deemed to be -**

(a) Cannot be used in evidence

(b) Can be used in evidence only in summons cases

(c) Can be used in evidence

(d) Can be used only to refresh the memory of the research officer who came in evidence

**65).** दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत फरार अभियुक्त की गैर-हाजिरी में साक्षी की परीक्षा की जा सकती है**-(Uttarakhand (CJ) 2015 U.P. (CJ) 2013)**

(a) धारा 299 के अंतर्गत

(b) धारा 321 के अंतर्गत

(c) धारा 224 के अंतर्गत

(d) धारा 301 के अंतर्गत

**65). Under the Code of Criminal Procedure, a witness can be examined in the absence of an absconding accused -**

(a) Under section 299

(b) Under section 321

(c) Under section 224

(d) Under section 301

**66)**दण्ड प्रक्रिया संहिता की निम्नलिखित किस धारा के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति का साक्षी के रूप में परीक्षण करने के लिए कमीशन जारी करने का प्रावधान किया गया है?**(Uttarakhand A.P.O. 2010)**

(a) धारा 286

(b) धारा 284

(c) धारा 287
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

**66) Under which of the following sections of the Code of Criminal Procedure, provision has been made for issuing a commission to examine the President or Vice-President of India as a witness?**
(a) Section 286
(b) Section 284
(c) Section 287
(d) None of the above

**67)सी.आर.पी.सी. में पूर्व दोषसिद्धि को साबित करने से संबंधित कौन-सा प्रावधान है ?(Raj. A.P.O. 2015**
**Uttaranchal (CJ) 2005)**

(a) धारा 296
(b) धारा 297
(c) धारा 298
(d) धारा 299

**67)Under C.R.P.C. Which provision is there related to proving previous conviction?**
(a) Section 296
(b) Section 297
(c) Section 298
(d) Section 299

**68).** दण्ड प्रक्रिया संहिता, **1973** की निम्न कौन-सी धारा "दुभाषिया सत्यनिष्ठा (ठीक-ठीक) से भाषान्तर करने के लिए आबद्ध है" संबंधित है?**(Uttarakhand A.P.O. 2010)**
(a) धारा 272 से
(b) धारा 284 से

R राजस्थली Estd. 2008

(c) धारा 280 से
(d) धारा 282 से

**68). Which of the following sections of the Code of Criminal Procedure, 1973 is related to “The interpreter is bound to interpret faithfully”?**
(a) From section 272
(b) From section 284
(c) From section 280
(d) From section 282

**69)**अपराध की जांच या विचारण के प्रयोजन से कोई भी दण्ड न्यायालय खुला न्यायालय समझा जाएगा। किन्तु आपराधिक न्यायालय होते हुए भी कब एक दण्ड न्यायालय खुला नहीं समझा जाएगा। यह निम्न में से दण्ड प्रक्रिया संहिता **1973** की कौन-सी धारा में दिया हुआ है?**(Raj. J.L.O. 2014**

**Raj. A.P.O. 2011)**

(a) धारा 327 में

(b) धारा 326 में

(c) धारा 320 में

(d) धारा 319 में

**69) For the purpose of inquiry or trial of offence, any criminal court shall be deemed to be an open court. But despite being a criminal court, a criminal court will not be considered open. This is given in which of the following sections of the Code of Criminal Procedure 1973?**

(a) In section 327

(b) In section 326

(c) Section 320

(d) In section 319

**70)**किसी मामले का विचारण समाप्त होने के पश्चात् निम्न में से कौन-सा आदेश पारित किया जा सकता है?**(Uttaranchal (CJ) 2002)**

(a) केवल दोषमुक्त का आदेश

(b) केवल दोषसिद्धि का आदेश

(c) उन्मोचन का आदेश

(d) या तो दोषमुक्त या दोषसिद्धि का आदेश

**70)Which of the following orders can be passed after the trial of a case is over?**

(a) Order of acquittal only

(b) Only order of conviction

(c) Order of discharge

(d) An order of either acquittal or conviction

राजस्थली
Estd. 2008

**1.the child labourers ...........by their peevish owner akin to a slave in precarious industries.**

A.are walloped

B.are walloping

C.have walloped

D.will be walloping

राजस्थली
Estd. 2008

**2.the notorious culprits ..........by .......court due to their sedition.**

A.are sent to gibbet,zero article

B.are sending to gibbet,the

C.have sent to gibbet,the

D.will be sending to gibbet ,the

**3.the languid and derelict students.........by the teachers due to their laxity.**

Estd. 2008

A.are scolded

B.have scolded

C.will be scolding

D.will have scolded

**4.by the next year you .........**

**Dizzy height due to your perseverance**

A.will have got

B.will have been got

C .will be getting

D.had been got

**5.they ..........to take the cake/take the biscuit since their failure despite their abysmal poverty**

A.have been striving

B.will be striving

C.are striving

D.had been strived

**Write synonyms of following words**

**6.orthodox**

A.open minded

B.narrow minded

C.out spoken

D.swalloen headed

**7.rein**

A.liberate

B.taboo

C.confine

D.slaughter

**8.precarious**

A.safe

B.parlous

C.flexible

D.rigid

राजस्थली
Estd. 2008

**Write antonyms of following**

**9.transparent**

A.opaque

B.rigid

C.imbias

D.serene

**10.destitute**

A.opulent

B.poor

C . arrogant

D.lunatic

**Write meaning of following phrases**

**11.to make a quick buck**

A.to destroy money

B.to misuse money

C .to make money quickly

D to invest money in business

R
राजस्थली
Estd. 2008

**12.to make both ends meet**

A.lead poor life

B.lead luxurious life

C.lead miserable life

D.lead hellish life

**13.still at large**

A abscond

B.confine

C.liberate

D.maul

**14.move pillar to post**

राजस्थली
Estd. 2008

A.embrace

B wander

C.thrash

D.threaten

**15.draw a long bow**

A.exaggerate  something

B.hush up something

C.hide something

D.rake up something

**1.**दरवाजे पर कोई है, उसे अंदर बुलाओ।
A.प्रश्नवाचक
B. निजवाचक
C. पुरुषवाचक
D. अनिश्चयवाचक

**2.** तुम्हारी तस्वीर तो वह है और मेरी यह।

A. निश्चयवाचक
B. निजवाचक
C. पुरुषवाचक
D. सम्बन्धवाचक

R
राजस्थली
Estd. 2008

**3.** जब विशेषण विशेष्य के बाद आता है, उन्हें क्या कहते हैं?
A. विधेय विशेषण

B. उद्देश्य विशेषण
C. दोनों (क व ख)
D. विशेषण

**4.'आकार' का बोध कौनसा विशेषण कराता है?**

A. गुणवाचक विशेषण
B. परिमाणवाचकविशेषण
C.संख्यावाचक विशेषण
D.सार्वनामिक विशेषण

**5. 'चौकोर' शब्द में कौनसा विशेषण है?**

A. गुणवाचक विशेषण
B. परिमाणवाचकविशेषण
C. संख्यावाचक विशेषण
D. सार्वनामिक विशेषण

**6.** सार्वनामिक विशेषण का अन्य नाम कौनसा है?

(अ) गणनावाचक विशेषण
(ब) निर्देशक विशेषण
(स) स्वदेशी विशेषण
(द) सर्वदेशीय विशेषण

**7. 'चौगुना' शब्द में कौनसा विशेषण है?**

(अ) गुणवाचक विशेषण
(ब) परिमाणवाचकविशेषण
(स) संख्यावाचक विशेषण
(द) सार्वनामिक विशेषण

राजस्थली

**8.** निम्नांकित में विशेषण है-

Estd. 2008

(अ) सुलेख
(ब) आकर्षक
(स) खर्च
(द) पौरुष

**9.** निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए-

(अ) भलाई
(ब) मिठास
(स) थोड़ा
(द) स्वयं

**10.** निम्नलिखित शब्दों में कौन-सा शब्द विशेषण है?

(अ) सच्चा
(ब) मिठास
(स) नम्रता
(द) शीतलता

**11.** निम्नलिखित में कौन-सा संख्यावाचक विशेषण का भेद हैं

राजस्थली
Estd. 2008

(अ) गणनावाचक
(ब) क्रमवाचक
(स) समुदायवाचक
(द) सभी

12. सकांच

(अ) क्रिया
(ब) विशेषण
(स) अव्यय
(द) संज्ञा

**13**. बाहुल्य

(अ) विशेषण
(ब) सर्वनाम
(स) अव्यय
(द) क्रिया

राजस्थली
Estd. 2008

**14.** निम्नलिखित में कौन-सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं हैं|

(अ) महाभारत
(ब) पटना
(स) औरत
(द) यमुना

**15.** जातिवाचक संज्ञा हैं|

(अ) घोड़ा
(ब) गंगा
(स) सभा
(द) बुढ़ापा

राजस्थली
Estd. 2008

राजस्थली

Estd. 2008

राजस्थली

Estd. 2008

राजस्थली
Estd. 2008

# Answer key

## Law

1-d
2-c

3-c
4-a
5-b
6-b
7-d
8-c
9-c
10-c
11-b
12-a
13-a
14-b
15-b
16-d
17-b
18-d
19-b
20-c
21-a

राजस्थली
Estd. 2008

**22-c**
**23-d**
**24-b**
**25-b**
**26-c**
**27-d**
**28-a**
**29-b**
**30-b**
**31-a**
**32-a**
**33-c**
**34-b**
**35-c**
**36-c**
**37-c**
**38-c**
**39-d**
**40-b**

राजस्थली
Estd. 2008

41-a
42-b
43-b
44-b
45-d
46-c
47-a
48-d
49-a
50-a
51-d
52-a
53-d
54-b
55-c
56-b
57-b
58-b
59-d

राजस्थली
Estd. 2008

60-b
61-c
62-a
63-b
64-c
65-a
66-b
67-c
68-d
69-a
70-d

## English

1-a
2-a
3-a
4-a
5-a

**6-b**
**7-b**
**8-b**
**9-a**
**10-a**
**11-c**
**12-a**
**13-a**
**14-b**
**15-a**

## Hindi

**1-d**
**2-a**
**3-a**
**4-a**
**5-a**
**6-b**

राजस्थली
Estd. 2008

7-c
8-b
9-c
10-c
11-a
12-a
13-c
14-c
15-a

राजस्थली
Estd. 2008

राजस्थली

Estd. 2008